

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक भुगतान की गई राशि के निर्धारण हेतु आवेदन का प्रपत्र

पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक भुगतान की गई राशि के निर्धारण हेतु सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 21 क के साथ पठित सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9कक के अंतर्गत आवेदन

सेवा में,

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य मंत्रालय,
नई दिल्ली

मैं/हम ----- जो (संबद्ध वस्तु का विवरण) का आयातक हूँ/हैं, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 21 क के साथ पठित सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9कक के अनुसार एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी (संबद्ध देश/देशों) से (संबद्ध वस्तु का विवरण) के आयातों के बारे में पाटन के वास्तविक मार्जिन के निर्धारण हेतु उक्त नियमावली के नियम 21 क(3) के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर जांच शुरू करें ।

1. मैंने/हमने (संबद्ध वस्तु) के आयातों पर दिनांक----- की अधिसूचना सं. ----- के तहत अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अंतर्गत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का ऐसी वस्तु के संबंध में पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक भुगतान किया है ।
2. नियम 21 क(1) के अंतर्गत मैं/हम ऐसी वस्तु के संबंध में पाटन के वास्तविक मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने में समर्थ हूँ/हैं।
3. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में निहित सूचना में पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक भुगतान की गई राशि के निर्धारण हेतु उचित आधार उपलब्ध हैं और वह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण तथा सही हैं । दावों के समर्थन में संगत साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत हैं । आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण भी संलग्न है ।

हस्ताक्षर :

नाम :

स्थिति : सीईओ

कंपनी :

तारीख :

पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक
भुगतान की गई राशि
के
निर्धारण हेतु आवेदन का प्रपत्र

- 1 आवेदक का नाम और डाक का पता :
- 2 आयातक के रूप में स्थिति :
- 3 संपर्क व्यक्ति (यों) का ब्यौरा :

नाम

स्थिति

दूरभाष सं.

फैक्स सं.

ई-मेल पता

- 4 पाटनरोधी शुल्क के अधीन विचाराधीन उत्पाद :
- 5 सीमाशुल्क अधिसूचना सं. और तारीख जिसके अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था
- 6 डी जी ए डी के अंतिम जांच परिणाम की संदर्भ संख्या और तारीख जिसके अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी
- 7 वह अवधि जिसके लिए वापसी का दावा किया गया है (अर्थात आवेदन की अवधि)
- 8 अनुबंध- । के अनुसार आयातों का सौदा-दर सौदा ब्यौरा दें
- 9 निर्यातक (कों) का नाम
- 10 निर्यातक देश/देशों का नाम
- 11 उत्पादक (कों) का नाम
- 12 उत्पादक देश/देशों का नाम
- 13 क्या आवेदक उपर्युक्त आयातक या उत्पादक से संबंधित है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें ।
क. कृपया संबंध के स्वरूप को स्पष्ट करें
ख. क्या आप असंबंधित ग्राहकों के लिए भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करते हैं ? यदि हां, तो कृपया भारत में अपनी पुनः बिक्री प्रक्रिया का ब्यौरा दें ।
ग. क्या आप भारत में आयातित उत्पाद की बिक्री कोई उपांतरण करने के बाद करते हैं ? यदि हां, तो कृपया भारत में आपके द्वारा की गई उपांतरण की प्रक्रिया का ब्यौरा और भारत में आपकी पुनर्बिक्री प्रक्रिया का ब्यौरा प्रस्तुत करें ।
घ. कृपया अनुबंध-।। के अनुसार आयात और पुनर्बिक्री के बीच किए गए व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करें ।

- ड. कृपया अनुबंध-III के अनुसार, रूप में या किसी उपांतरित रूप में आयातित उत्पाद की पुनः बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत करें ।
- च. कृपया अनुबंध **iv** के अनुसार स्टॉक का विवरण दें
- 14 क्या उत्पादक/निर्यातक संगत सूचना प्रदान करने में प्राधिकारी के साथ सहयोग करने का इच्छुक है ? कृपया अनुबंध **v** के अनुसार उत्पादक/निर्यातक से प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
- 15 आवेदन अवधि के दौरान किए गए पाटनरोधी शुल्क के भुगतान का साक्ष्य
- 16 संक्षेप में वे आधार बताएं जिन पर भुगतान किया गया पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक माना जाता है
- 17 कृपया अनुबंध- **vi** के अनुसार प्राधिकार के साथ अपने विधिक प्रतिनिधियों या परामर्शदाताओं, यदि कोई हो, के नाम दें
- 18 कृपया अनुबंध **vii** के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

तारीख :

आयातक का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

नाम/उपाधि

-
1. आवेदन में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए गोपनीय रूपांतरण भी उपलब्ध होना चाहिए । अपवंचनरोधी जांच हेतु आवेदन 2 सैटों में एक गोपनीय और दूसरा अगोपनीय रूपांतरणों में दायर किया जाना चाहिए । गोपनीय प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” अंकित किया जाना चाहिए ।
 2. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश संभव न हो तो उसके कारण का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
 3. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अपने आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण में अपवंचनरोधी उपाय लागू करने हेतु अपेक्षित कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है ।
 4. यह आवेदन समर्थकारी साक्ष्य और सूचना के साथ निम्नलिखित के पास दायर किया जाना चाहिए ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

पाटनरोधी शुल्क के भुगतान पर किए गए आयातों का ब्यौरा

1. उत्पादक का नाम :
2. उत्पादक के देश का नाम :
3. निर्यातक का नाम
4. निर्यातक देश का नाम
(टिप्पणी: यदि दो से अधिक उत्पादक या निर्यातक हों तो प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक संकुल हेतु पृथक शीटें तैयार की जाएगी)
5. आवेदन अवधि:
6. निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार उन प्रवेश बिलों का ब्यौरा जिन पर आयात किए गए हैं :

क्र. सं.	पोतलदान बिल सं. और तारीख	प्रवेश बिल सं. और तारीख	उत्पादक का प्रकार यदि कोई हो	पी सी एन, यदि लागू हो	बीजक सं. और तारीख	मात्रा	बीजक मूल्य	डिलीवरी की शर्तें	प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क की राशि, यदि कोई हो	शुल्क के भुगतान की तारीख
----------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------	--------	------------	-------------------	--	--------------------------

आयात एवं पुनः बिक्री के बीच किए गए व्यय का ब्यौरा

दिनांक _____ से _____ तक की अवधि के लिए आवेदन

क्र.सं.	व्यय का स्वरूप	समग्र कंपनी के लिए	आवेदन में विचाराधीन उत्पादों के लिए लागू हिस्सा	अन्य उत्पादों के लिए लागू हिस्सा	आबंटन का आधार
1	आयातित वस्तु का मूल्य				
2	प्रदत्त सीमाशुल्क (शुल्क एवं सेनवेट से नेटवर्क समायोजन को छोड़कर)				
3	सीमाशुल्क निकासी व्यय				
4	अंतर्देशीय परिवहन (पत्तन से भाण्डागार/फैक्टरी तक)				
आयातित वस्तु की लागत					
5	विनिर्माण व्यय (कृपया व्यय की प्रत्येक मद का अलग उल्लेख करें)				
	सामग्री				
	श्रम				
	उपयोगिता				
	अन्य विनिर्माण व्यय यदि कोई हो				
6	प्रशासनिक व्यय				
7	बिक्री व्यय				
8	वित्तपोषण व्यय				
9	अन्य व्यय, यदि कोई हो				
कुल लागत					
10	बिक्री राजस्व				
11	अन्य राजस्व				
12	कुल राजस्व				
13	लाभ/हानि				

टिप्पणी:

1. इस प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन पेशावरत लागत लेखाकार द्वारा किया जाना है ।
2. आय और व्यय की सभी मदों का मिलान वार्षिक लेखों से किया जाएगा ।

आयातित उत्पाद की पुनः बिक्री का ब्यौरा

दिनांक ----- से ----- तक की अवधि के लिए आवेदन

क्र. सं.	बीजक सं.	बीजक की तारीख	बेचे गए उत्पादक का विवरण	पी सी एन, यदि लागू हो	आयातित रूप में उत्पाद का विवरण, यदि वह बेचे गए उत्पाद से भिन्न हो	ग्राहक का नाम	क्या ग्राहक संबंधित है	मात्रा	मूल्य	डिलीवरी की शर्तें	भुगतान की शर्तें

स्टॉक का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आवेदक का वित्त वर्ष	आवेदन की अवधि
आयातित रूप में उत्पाद			
1	अथ स्टॉक		
2	किए गए आयात		
3	अन्य उत्पादों में उपांतरण हेतु प्रयुक्त		
4	आयातित रूप में पुनः बिक्री		
5	इति स्टॉक		
उपांतरित रूप में उत्पादन, यदि कोई हो			
1	अथ स्टॉक		
2	उत्पादन		
3	बिक्री		
4	आबद्ध खपत, यदि कोई हो		
5	इति स्टॉक		

उत्पादक/निर्यातक से प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संबद्ध वस्तु (उत्पाद का नाम) ----- का उत्पादक और/अथवा निर्यातक होने के नाते मैं (व्यक्ति का नाम) ----- पदनाम ----- (उत्पादक निर्यातक का नाम)----- एतद्वारा ऐसी समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने की इच्छा के बारे में सूचित करता हूं जो दिनांक ----- से ----- तक की आवेदन अवधि में आयातक (आयातक का नाम)----- द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9कक के अंतर्गत दायर आवेदन के संबंध में डी जी ए डी के लिए अपेक्षित हो ।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि डी जी ए डी द्वारा यथानिर्धारित निर्यात प्रश्नावली का उत्तर डी जी ए डी के पास अलग से दायर कर दिया गया है/दायर किया जा रहा है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/उपाधि

स्थान:
तारीख:

प्राधिकार पत्र

हम, पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक भुगतान की गई राशि के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जा रही पाटनरोधी शुल्क की जांच में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कंपनी को नियुक्त करते हैं :

नाम:

पता:

दूरभाष सं.

ई-मेल आई डी:

फैक्स सं.

मैं, -----को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत किया जाता है :

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी से पत्र प्राप्त करने के लिए
2. हमारी ओर से अनुरोध करने के लिए
3. हमारे लिए या हमारी ओर से उपस्थित होने के लिए

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम/उपाधि

नोट:-

1. यह पृष्ठ भरकर अनुरोधों की शुरुआत में संलग्न किया जाए ।
2. यह प्रमाण पत्र कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/फर्म के भागीदार अथवा प्रोपराइटर/उत्तर/आवेदन दायर करने वाली कंपनी/फर्म के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

प्रमाण-पत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में निहित सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, फर्म/कंपनी द्वारा उपलब्ध तथा आम तौर पर रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर सत्य, पूर्ण और सही है और उसमें कोई बात छिपाई या गलत नहीं बताई गई है ।

स्थान : (हस्ताक्षर)
तारीख : (नाम/पदनाम)

टिप्पणी : (1) इस पृष्ठ को भरकर आवेदन की शुरुआत में संलग्न किया जाना चाहिए ।
(2) प्रमाण-पत्र पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक/भागीदार या फर्म के प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।